



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

पृ० 56]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 13, 1984/माघ 24, 1905

No. 56]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 13, 1984/MAGHA 24, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
[विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय]

आवेश

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1984

का. आ. 92 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उप-पैरा (6) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं. का. आ. 665(अ), तारीख 24 अगस्त, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में क्रम संख्या 12 और 13 के सामने, स्तम्भ 5 में, “121.14” और “226.02” अंकों के स्थान पर क्रमशः “99.68” और “183.10” अंक रखे जाएंगे।

[सं. 12(1)/82-औषधि-2]

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
[Office of the Development Commissioner (Drugs)]

ORDER

New Delhi, 13th February, 1984

S.O. 92(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers), No. S.O. 665(E), dated the 24th August, 1981, namely :—

In the Table below the said Order, against S. No. 12 and 13, in column 5 for the figures “121.1” and “226.02”, the figures “99.68” and “183.10” shall respectively be substituted.

[No. 12(1)/82-Drug. II]

का. आ. 93 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उप-पैरा (6) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं. का. आ. 666(अ), तारीख

24 अगस्त, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है,
अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में, क्रम संख्यांक 3, 4,
5 और 5-क के सामने, स्तम्भ 5 में, "5.84",
"15.34", "10.00" और "10.10" अंकों के
स्थान पर क्रमशः "4.98", "12.76",
"8.28" और "8.16" अंक रखे जाएंगे।

[सं. 12(1)/82-औषधि-2]

ई. एन. मूर्ति, उप-सचिव

S.O. 93(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S. O. 666(E), dated the 24th August, 1981, namely :—

In the Table below the said Order, against S. No. 3, 4, 5 and 5A, in column 5 for the figures "5.84", "15.34", "10.00" and "10.10", the figures "4.98", "12.76", "8.28" and "8.16" shall respectively be substituted.

[No. 12(1)/82-Drug. II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy.